पुरावशेषों का पंजीकरण अभियान
"भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण"
संस्कृति मंत्रालय
जोधपुर मंडल, जोधपुर

समस्त भारतीय नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से पुरावशेषों के पंजीकरण हेतु १५ दिन के (१३-२८ सितम्बर २०१९) लिए अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान "पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम १९७२ की धारा १४ के तहत चलाया जा रहा है. पुरावशेषों के पंजीकरण के इछुक व्यक्ति कृपया निम्न दस्तावेजों के साथ मंडल कार्यालय में सम्पर्क करे. १. पुरावशेष के ३ पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ. २. आवेदन पत्र (निर्धारित प्रोफोर्मा फॉर्म न. ७ (आवेदन पत्र का प्रोफोर्मा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है. फॉर्म न. ७ कि तीन प्रति पूर्ण रूप से भर कर जमा करे. तत्पश्च्यात पंजीकरण अधिकारी सुविधानुसार पुरावशेष कि जाँच कर पंजीकरण करेंगें. २५-२७ सितम्बर २०१९ को इन पुरावशेषों की प्रदर्शनी स्वामी की अनुमति से मंडल कार्यालय में लगायी जायेगी तत्पश्च्यात पुरावशेषो को उनके स्वामियों को वापिस कर दिया जायेगा.

का. आ. ४४८ (इ), दिनांक २.७.१९७६ जो की पुनः का. आ. ३९७ (इ) दिनांक १५.५.१९८० को संशोधित किया गया था उसके अनुसार वह वस्तु जो १०० वर्ष पुरानी हो उसका पंजीयन किया जाएगा. उन पुरावशेषों में निम्नलिखित कलाकृति सम्मिलित है - १. पत्थर, टेराकोटा, धातु, हाथी दन्त या हड्डी से बनी प्रतिमा. २. पेपर, काष्ठ कपडे सिल्क के ऊपर बनी चित्रकारी (मिनिएचर पेंटिंग्स और थंका). ३. पांडुलिपि (हस्तलिपि) जिनमे किसी भी प्रकार की चित्रकारी या चित्रण किया गया हो. ४. काष्ठ में चारो ओर से उकेरी गई प्रतिमा.

जोधपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्न्लिखित १७ जिलो के नागरिको के आवेदन-पत्र ही स्वीकार्य होंगे:-
अजमेर, बांसवारा, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर,पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द,सिरोही,श्रीगंगानगर, तथा उदयपुर.

अधिक जानकारी तथा किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए इस मंडल कार्यालय के पते (कार्यालय- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल, आफरी कैंपस, न्यू पाली रोड, जोधपुर राजस्थान – 342005) या दूरभाषः 0291-2722091 या ईमेल-circlejdh.asi@gmail.com पर संपर्क करे.

अधीक्षण पुरातत्वविद/पंजीकरण अधिकारी